संपादकीय

शिक्षा में बदलाव के प्रति राज्य सरकारों के सरोकारों एवं गंभीरता को उसके द्वारा लिए जा रहे फैसलों के प्रकाश में देखा-समझा जाना चाहिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा हाल में दिया गया एक बयान यह साबित करता है कि सरकार के पास शिक्षा में बदलाव को लेकर कोई सुसंगत समझ नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ''आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने का निर्णय सही नहीं है। बच्चों का सही शैक्षिणिक विकास हो सके इसके लिए आठवीं तक तीन स्तर पर बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी''। और यह कक्षाएं तीसरी, पांचवीं और आठवीं होंगी। इससे कुछ दिन पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री भी आरंभिक शिक्षा में परीक्षाओं के समाप्त करने के फैसले को अमेरिका की साजिश बता चुकी हैं। शिक्षा मंत्री का फैसला और मुख्यमंत्री का वक्तव्य, शिक्षा के वर्तमान शैक्षिक चिन्तन के प्रति उनकी अनभिज्ञता और नासमझी को ही दर्शाते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं लागू करने का यह फैसला शिक्षा में बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयासों को पीछे की दिशा में धकेलने का काम करेगा।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी के लिए लम्बे समय से एक पैरवी यह की जाती रही है कि परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर उसके स्थान पर बेहतर मूल्यांकन के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, ऐसे तरीके जो बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने एवं समझने में मदद करें। साथ ही शिक्षक बच्चों के सीखने को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। हमारे यहां मुख्यधारा शिक्षा में मूल्यांकन का एकमात्र प्रचलित तरीका परीक्षा रहा है और यह तरीका बच्चे की सीखने में मदद करने के बजाय उनकी छंटनी करने के काम में ज्यादा आता रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि लाखों बच्चे अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी किए बगैर ही स्कूल छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा का अधिकार कानून मूल्यांकन के तरीके में बदलाव की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 मूल्यांकन की एक ज्यादा सुसंगत और गहरी समझ प्रदान करती है। दोनों ही दस्तावेज सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाने पर जोर देते हैं।

बच्चों के आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कहती है, ''भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। ...हमें परीक्षा के उन दुष्प्रभावों की चिंता है जो सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को सार्थक बनाने और बच्चों को आनंददायी बनाने के प्रयासों पर पड़ते हैं।'' यह एक शिक्षाशास्त्रीय चिंता है और इसका सरोकार शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करना है ताकि बच्चे बेहतर रूप में सीख पाएं। दस्तावेज में आगे समस्या का विश्लेषण करते हुए कहा गया है, ''वर्तमान में चल रही मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जो केवल योग्यताओं को मापती और आकलित करती हैं बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की ओर प्रगति की संपूर्ण तस्वीर नहीं खींचती हैं।'' बच्चों के सीखने एवं अध्यापक द्वारा उन्हें मदद प्रदान कर पाने के लिए मूल्यांकन का बेहतर तरीका सुझाते हुए पाठ्यचर्या कहती है, ''प्रगति-पत्र (रिपोर्ट कार्ड) तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे रिपोर्ट कार्ड को लिख पाने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सोचना होगा और इसीलिए रोजमर्रा के शिक्षण के दौरान उस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए विशिष्ट परीक्षाओं की जरूरत नहीं है। ...जब तक परीक्षाएं बच्चों की पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण करती रहेंगी, तब तक पाठ्यचर्या को सीखने की तरफ मोड़ने के सभी प्रयास विफल होते रहेंगे। ...बड़ी-बड़ी मासिक और वार्षिक परीक्षाओं की जगह समय-समय पर छोटी-छोटी परीक्षाएं होनी चाहिएं।''

बदलाव की इस जद्दोजहद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परीक्षाओं के लम्बे मर्ज से मुक्त कराने का एक तरीका सुझाती है। यदि शिक्षा का मकसद बच्चों को सिखाना है तो शिक्षा प्रक्रिया के समस्त तौर-तरीके उसके अनुरूप होने चाहिएं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री का यह फैसला मर्ज का सही आकलन नहीं कर पाने की वजह है। ऐसा लगता है कि वे पौधे को सूखता देखकर पत्तियों पर पानी छिड़क रहे हैं। यदि वे सही मायने में शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो सुसंगत शैक्षिक नजरिए से समस्या के समाधान की दिशा में सोचने की आवश्यकता होगी। इसके अभाव में संभवतः वे शिक्षा में बेहतरी की बजाय शिक्षा को दूरगामी नुक्सान ही पहुंचा रहे होंगे। ◆